पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने राज्य विधान मण्डल के सत्र का सत्रावसान किया

लखनऊः 28 फरवरी, 2019

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के वर्ष 2019 के प्रथम सत्र के सत्रावसान के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि विधान सभा तथा विधान परिषद का वर्तमान सत्र 5 फरवरी, 2019 से आहूत किया गया था। वर्तमान सत्र में विधान सभा एवं विधान परिषद की बैठकें 18 फरवरी 2019 एवं 20 फरवरी 2019 के उपवेशन के पश्चात अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गयी थी।

उल्लेखनीय है कि 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अधीन राज्यपाल को राज्य विधान मण्डल के सदनों को समय-समय पर सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त हैं।

अंजुम/ललित/राजभवन (83/46)